जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 26.02.2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 74/25 धारा 103(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.02.2024 को वादी श्री परमील कुमार पुत्र गाटे निवासी ग्राम कोटनाथ थाना मोहमदी जनपद लखीमपुर खीरी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि वादी की बहन फतुमा, जो मौहल्ला हजरतनगर कस्बा व थाना नूरपुर क्षेत्रान्तर्गत अपने पति नेकपाल के साथ अस्थायी रुप से झोपडी डालकर रह रही थी कि दिनांक 23.02.2025 की रात्रि में मृत्यु हो गयी है। वादी को यकीन है कि वादी की बहन की हत्या वादी के बहनोई नेकपाल ने की है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 74/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम नेकपाल उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज 26.02.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अभियुक्त नेकपाल पुत्र रमजू निवासी ग्राम कोटनाथ थाना मौहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आये की फतुमा का नेकपाल के अवैध सम्बंधो को लेकर आये दिन विवाद होता था। दिनांक 23/24.02.2025 की रात्रि में मृतका फतुमा का उसके पति नेकपाल से विवाद हुआ था। इसी दौरान नेकपाल ने अपनी पत्नी फतुमा के ऊपर कंबल डालकर फतुमा का सांस रोक दिया, जिससे फतुमा की मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नेकपाल पुत्र रमजू निवासी ग्राम कोटनाथ थाना मौहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.श्री रविन्द्र कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 2573 हरिओम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ़ दिनांक 26.02.2025

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध की रोकथाम चोरी व नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा महसनपुर चौराह पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त दानिश पुत्र लियाकत नि0 ग्राम काकर खेडा थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद को चोरी की मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट) सहित गिरफ्तार किया गया। मो0सा0 के चेचिस नम्बर व इंजन नम्बर को ई चालान एप से चेक किया गया तो मोटर साईकिल का रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 80 DQ 6378 व वाहन स्वामी का नाम रामेश्वर सिंह पुत्र भीम सिंह नि0 सिकरी चार थाना फतेहपुर सिकरी जनपद आगरा पाया गया तथा उक्त मोटरसाइकिल एक वर्ष पहले फतेहपुर सिकरी जनपद आगरा से चोरी हुई थी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 62/2025 धारा 35(2)/106/317(5) बीएनएस0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दानिश पुत्र लियाकत नि0 ग्राम काकर खेडा थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद

बरामदगीः-

चोरी की गयी मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.थाना प्रभारी सुमित राठी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
3.हे0का0 677 प्रदीप कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
4.का0 2502 विशाल मलिक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
5.का0 127 अरुण थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर